हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 2014

संख्या का0 आ0 12/ह0 अ0 6/2003/धा0 59/2014. – हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2014, दिनांक 3 जनवरी, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख और ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में.–

1. अनुसूची ख में, क्रम संख्या 44 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"44	सभी प्रकार के जूते (चमड़े से बने जूतों को छोड़कर किन्तु इसमें हवाई चप्पल और उनकी पटिट्याँ शामिल हैं) जिनकी अधिकतम खुदरा कीमत 500/– रुपये प्रति जोड़ी से अधिक नही है, परन्तु अधिकतम खुदरा कीमत जूते पर अमिट रूप से चिह्नित या उभरी हुई है।"।

2. अनुसूची ग में, क्रम संख्या 55 और उसके सामने प्रविष्टियां का लोप कर दिया जाएगा।

हरदीप कुमार

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।